न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी–

श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
119/अपील/2015	30.11.2015	17.12.2019

1. अमरी बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)
2. धर्मराज आ. लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

–अपीलांटस

– बनाम –

1. जगन्नाथ आ. कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.09.2015
तहसीलदार हिण्डोली अन्तर्गत धारा 183 (बी)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से – श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2015 अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को कृषि भूमि ख.सं. 745/127 की भूमि पर 12 बिस्वा ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली से अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश तथा रेस्पो. को कब्जा संभलाने के आदेश दिये गये है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी जगन्नाथ आ. कल्याण मीणा ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिण्डोली में भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था कि कृषि भूमि ख. सं. 703/68 रकबा 03 बीघा ख. नं. 744/68 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा एवं ख. सं. 745/127 रकबा 03 बीघा कुल रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा ग्राम नटावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी के खाते व कब्जे में है। अप्रार्थीगण ने मई 2014 में कृषि भूमि ख. नं. 745/127 के उत्तरी और की सवा बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। प्रार्थी के विरोध करने पर मारपीट करने की धमकी दी गई। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से कब्जा दिलाया जावे तथा 5000/– रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष हर्जा भी दिलाया जावे। अपीलान्ट (अप्रार्थी) ने जवाब पेश किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी (रेस्पो.) का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी ने भूमिहीन नहीं होते हुये भी ख. नं. 745/127 रकबा 03 बीघा तथ्यों को छुपाकर अपने नाम आवंटन करवा लिया है। जिसकी 14(4) आवंटन खारिज की अलग से कार्यवाही श्रीमान् के न्यायालय में पेश कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने का व सुनवाई का अवसर नहीं दिया और बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। रेस्पो. ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपीलान्टस के कब्जे काश्त की भूमि रेस्पो. के नाम आवंटित कर दी। जबकि अपीलान्टस का विवादित भूमि पर काफी पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। पक्षकार एक ही जाति के व्यक्ति है। इस कारण भी धारा 183 (बी) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी खारिज योग्य था। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पो. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विकल्प में प्रकरण साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान तर्क पेश किये कि प्रकरण 183 (बी) का होने से इसमें समरी ट्रायल की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई है। जिसके अनुसार ख. नं. 745/127 रकबा 03 बीघा भूमि में से लगभग 10–12 बिस्वा भूमि पर अमरी बाई का कब्जा होना बताया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

पारित किया गया है। जो विधि एवं न्यायिक संगत है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि रेस्पो. जगन्नाथ आ. कल्याण जाति मीणा द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिण्डोली में दिनांक 11.07.2014 को पेश किया गया जो दिनांक 28.05.2015 को निर्णय पारित किया जाकर अमरी बाई, धर्मराज मीणा को रेस्पो.जगन्नाथ आ. कल्याण मीणा की खातेदारी भूमि ख. नं. 745/127 रकबा 12 बिस्वा ग्राम नटावा से बेदखल करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट का तर्क है कि उन्हें साक्ष्य व सुनवाई, दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं दिया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये तथा अपीलान्ट ने न्यायालय में जवाब भी पेश किया है तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्टस ने यह भी निवेदन किया है कि रेस्पो. उक्त विवादित भूमि गुपचुप तरीके से राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलकर आवंटन करवा ली है जिसकी कार्यवाही आवंटन खारिज की श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त विवादित भूमि रेस्पो. की खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमि ख. नं. 745/127 रकबा 03 बीघा की मौका स्थिति की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा ली गई है। जिसके अनुसार भी अपीलान्ट अमरी बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति मीणा का रेस्पो. की भूमि पर 10–12 बिस्वा भूमि पर कब्जा पाया गया। अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को साक्ष्य सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर दिया गया है तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलान्टस ने रेस्पो. की खातेदारी भूमि ख. नं. 745/127 की 10–12 बिस्वा भूमि पर कब्जा करना पाया गया है। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस सारहीन होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)